

स डी-27013/1/2020/ सामान्य /866
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

पश्चिमी खंड 7, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली - 110066
दिनांक: 20.10.2023

प्रति


सभी संबंधित पार्टी/एजेंसी

विषय: अप्रयोगिक / कण्डम सामान को डिस्पोज करने के लिए बोली (बिड) लगाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित करना है कि Public acution के माध्यम से अप्रयोगिक/कण्डम सामान डिस्पोज करने के लिए बोली (बिड) लगाने का समय दिनांक 23.10.2023 को सांय 11:00 बजे निर्धारित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि समय रहते सामान का निरीक्षण कर संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त सामान को बोली (बिड) लगाने के लिए उपस्थित हों, कृपया।

भवदीय,


20.10.2023
(प्रद्युमन पाण्डेय)

सहायक निदेशक (सामान्य)

प्रतिलिपि समिति सदस्य

अप्रयोगिक / कण्डम जैसे- टेबल, चैयर, आलमारी, एयर कंडीशनल, हॉटकेश, फोटोकॉपियर मशीन, डेजेट, कूलर, आदि को नीलाम करने के लिए नियम एवं शर्तें:-

1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, पश्चिमी खण्ड-7, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 में दिनांक 23.10.2023 को प्रातः 11.00 बजे सामान को डिस्पोज करने के लिए जहाँ है जैसा है के आधार पर पब्लिक ऑक्सन के माध्यम से बोली लगाई जाएगी।
2. सामान का कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से साय 6.00 बजे तक निरक्षण किया जा सकता है।
3. जिस पार्टी / एजेंसी द्वारा उक्त सामान के लिए अधिकतम बोली लगाई जाएगी, सामान उसी एजेंसी को बेचा जाएगा।
4. अधिक बोली लगाने वाली एजेंसी को कुल राशि 25% धनराशि तत्काल कार्यालय में जमा करानी होगी।
5. शेष राशि दो दिन के अन्दर सामान उठाने के पूर्व AO(Hqrs), O/o the DC(Handicrafts), New Delhi के नाम डिमांड ड्राफ्ट / नगद जमा कराना होगा।
6. संबंधित एजेंसी द्वारा दो दिन के अन्दर सामान न उठाने पर जमा की गई 25% राशि जब्त कर ली जाएगी।
7. किसी बिड अथवा बिडस को निरस्त अथवा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने के लिए कार्यालय में सक्षम अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा।
8. बोली में भाग लेने वाली एजेंसी को अपने साथ पहचान पत्र /आधार कार्ड की फोटोकॉपी बिड लगाने से पहले कार्यालय जमा करानी होगी।